रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2127] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 2014/आश्विन 26, 1936
No. 2127] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 2014/ASVINA 26, 1936

## रेल मंत्रालय
## (रेलवे बोर्ड)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2014

**का.आ. 2676 (अ)**.—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पष्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमिका, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के रोहतास जिले में विषेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होगें और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जॉच, यदि कोई हो, करने के पष्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

बिहार राज्य मे विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड कॉरीडोर के लिए रोहतास जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

**जिले का नाम–रोहतास**

| क्रम सं. | अंचल का नाम | ग्राम का नाम | थाना नं. | सर्वेक्षण सं0 | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | सासाराम | रसूलपुर (सासाराम नगरपालिका वार्ड नं. 24) | 135 | 41(C.S.)/744 | 0.0144 |
| | | | | 41(C.S.)/1069 (941च) | 0.0280 |
| | | | | 41(C.S.)/1074 (741झ) | 0.2176 |

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/529]

अचल जैन, कार्यकारी निदेषक, (भूमि एवं सुविधाएं–1)

**MINISTRY OF RAILWAY**

**(Railway Board)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2014

**S.O. 2676 (A).—**In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance , management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District Rohtas in the state of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer, Rohatash, Sasaram, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Sanction 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Rohtas for special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the state of Bihar.

Name of District—Rohtas

| Sl No. | Name of the Circle | Name of the Village | Thana No. | Survey No. | Area (in hectares) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Sasaram | Rasulpur (Sasaram Municipality ward no. 24) | 135 | 41(C.S.)/744 | 0.0144 |
| | | | | 41(C.S.)/1069 (941p) | 0.0280 |
| | | | | 41(C.S.)/1074 (741>) | 0.2176 |

[F. No. 2013/LML/12/7/EC/529]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.